

दिनांक 15/2/2008

धीमा बनाम मालीराम

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16 <sup>1</sup> / <sub>2023</sub>	<p>पञ्जाबली प्रस्तुत। वकील वारी उपस्थित। वारी द्वारा आज्ञा की साक्ष्य पेश नहीं किए गये। पञ्जाबली वर्ष 2008 में भाष्य वारी हेतु निष्पत्त है। वारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कोर्टो अवसर दिए जा चुके हैं। साथ ही सरल टिप्पणी व स्वतः बंद के आदेश भी पूर्व में दिए जा चुके हैं। अतः वारी का साक्ष्य का निवारा बंद किया जाता है। प्रतिवारी संख्या-1 की दिनांक 8.10.2008 को एक परीप कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। अतः पञ्जाबली पान्ते बंद दिनांक 27<sup>1</sup>/<sub>2023</sub> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर</b> आमेर जयपुर</p>
<p>Not Press 27/23</p>	87 <sup>1</sup> / <sub>2023</sub>	<p>पञ्जाबली प्रस्तुत। वारी के अधिवक्ता उपस्थित। वारी के अधिवक्ता ने Not Press किया। ..</p> <p>अतः Not Press के आदेश पर वाद खारिज किया जाता है। पञ्जाबली फैसल सुना होना दाखिल प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर</b> आमेर जयपुर</p>